

However, certain other powers are given by the aforesaid rules, some of which are described below:-

Powers of access to premises, accounts. – Under Rule 110 of the aforesaid rules, any officer authorized by the Excise Commissioner, may have free access to premises where dutiable goods are stored and accounts maintained there.

Powers of entry and search and arrest.- Officers of the Excise Department not below the rank of Sub-Inspector of Excise are authorized to enter and search building and places where an offence under Act has been committed and arrest persons, vide Rules 113, 114 and 121 of the aforesaid rules.

Power of adjudication of confiscation and penalty. – Rule 123 of the above rules provides that where under these rules anything is liable to confiscation or any person is liable to penalty such confiscation or penalty shall be adjudged by the Excise Commissioner.

General penalty.- A breach of these rules shall, where no other penalty is provided, be punishable with a penalty which may extend to one thousand rupees and with confiscation of the goods in respect of which such breach is committed.

Composition of offences:- The Excise Commissioner or any excise officer empowered by him in this behalf , may accept from any person where property is liable to confiscation who is reasonable suspected of having committed an offence a sum of money not exceeding two thousand rupees in lieu of confiscation at goods of punishment .

**7-A. The Spirtuous Preparations (Inter-State Trade and
Commerce) Control Act. 1955**

[No. 39 of 1955]

Received the assent of the president on the 15 th October, 1955)

An Act to make provision for the imposition in the public interest of certain restrictions on inter-State trade and commerce in spirituous medicinal and other preparations and to provide for matters connected therewith.

Enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows:

- 1. Short title, Extent and commencement.** – (1) this Act may be called the spirituous Preparations (Inter _State Trade and commerce) Control Act, 1955.
(2) It extends to the Whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 1
- 2. Definitions.** – In this Act, Unless the context otherwise requires –
 - (a) 'alcohol' means ethyl alcohol having the chemical composition C_2H_5OH ,
 - (b) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act.
 - (c) 'Prohibition state' means any state which the Central Government may, by notification in the official Gazette, specify as being a state in which or in any of which the consumption of alcoholic liquor is generally prohibited by law,
 - (d) 'Spirituous preparation' means-
 - (i) any medicinal preparation containing alcohol whether self- Generated or otherwise or
 - (ii) Any mixture or compound of wine with medicinal substances, whether the wine fortified with spirit or not. or
 - (iii) any other substance notified under sec 4 to be a spirituous preparation

3. Control of inter-State trade and commerce in spirituous preparations.—

(1) No. person shall, in the course of Inter- State trade and Commerec

(a) import into a prohibition state any spnituous preparation or

(b) export from any State or transport from one place to another or sell any spitnous preparation for the purpose of its importation into a prohibition state.

Save in accordance with rules made ander sub-section (2) and with she onditions of any licence for that purpose which, he may be requed to obtain under those rules.

(2) The central Government may, by notification in the official Gazette, make rules regulating such import, export, transport or sale, and such rules may prescribe the form and conditions of licences therefore, the authorities by which such licences may be granted and the fees that may be charged with respect thereto, and any other matter required to render effective the control over such import export transport or sale.

(3) Save in so far as may be expressly provided in the rules made undrsub-section (2), nothing in this section shall apply to spirituous preparations which are the property of the Government.

4. Other preparations containing alcohol may be notified as spirituous preparations. –

(1) If the Central Government is satisfied after making such inquiry in this behalf as it may think kit and after taking into account such representations as may be made in the matter, that control of inter-State trade and commerce in any preparation containing alcohol other than a preparation referred to in sub-Clause (i) or sub-clause (ii) of Cl. (d) of Sec. 2 is necessary in the public interest, it may by notification in the official Gazette declare such preparation to be a spirituous preparation within the meaning of this act and thereupon the provisions of this Act shall apply thereto.

5. Penalties. – It any person contravenes any of the provisions of this Act or of any rules made thereunder, or theterms and conditions of any licence granted under such rules, he shall for every such offence, be punishable with

iniprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

6. **Procedure to be followed by Magistrate.** – In all trials for offences under this Act or the rues made thereunder, the magistrate shall follow the Magistrate shall follow the procedure prescribed in the code of criminal procedure, the trial of summary cases in which an appel lies.
7. **Offences under this Act cognizable-** Notwithstanding anything untained an the code of Criminal Procedure, 18998 all offences under this Act and the under made thereunder shall be cognizable.
8. **Power to enter, search, seize, arrest without warrant and investigate offences-** If any officer of the department of prohibition, excise, police revenue or publ k health authorized in this behalf by the state Government police revenue of publ k health authorized in this behalf by the state Government by genenal of special order, who has reason to believe from personal knowledge or hom mtormation given by any person and taken down in writing that any spintuous preparation in respect of which an offence punishable under Sec. 5 has been committed is kept or concealed in any house, building or enclosed space or is being transported in any vehicle, vessel or aircraft to any place or is in transit mav-
 - (a) enter at any time by day or by night into any such house, building or enclosed space or vehicle, vessel or aircraft.
 - (b) In case of resistance, break open any door and remove any other obstacle to such entry.
 - (c) Seize such preparation and document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rule made thereunder, and
 - (d) Detain and search any person whom he has reason to believe to be guilty of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder, and if such person has nay spirituous preparation in the possession and such possession appears to him to be unlawful arrest him.

(2) Where an officer takes down any information in writing under sub-section (1) he shall forthwith send a copy thereof to his immediate official superior.

(3) The State Government may empower any officer of the prohibition or excise department to investigate offences under this Act and the rules made thereunder.

(4) An officer empowered under sub-section (3) shall, in the conduct of such investigation, exercise the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1898, upon an officer in charge of a police station for the investigation of cognizable offences.

9. Vexatious search, seizure, etc. by officers exercising powers under this Act. – (1) Any officer exercising powers under this Act or under the rules made thereunder who-

(a) without reasonable ground for believing that it is necessary so to do, searches or causes to be searched any house, building or enclosed place or any vehicle, vessel or aircraft.

(b) Vexatiously or unnecessarily seizes any spirituous preparation or any document or other article,

(c) Vexatiously or unnecessarily detains, searches or arrests any person, or

(d) Commits as such officer any other act to the injury of any person without having reason to believe that such act is required for the execution of his duty.

Shall for every such offence be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

(2) Any person willfully and maliciously giving false information and so causing an arrest or a search to be made under this Act shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to one year or with both.

10. Offences by companies. – (1) If the person committing an offence under section 5 is a company every person who, at the time the contravention was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the

conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. – For the purposes of this section-

(a) 'Company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'Director' in relation to a firm means a partner in the firm.

11. Presumption for possession of spirituous preparations.-In Trials under this Act. It may be presumed, unless and until the contrary is proved, that the accused has 'committed' an offence under this Act or the rules made thereunder in respect of any spirituous preparations for the possession of which he fails to account satisfactorily.

12. Delegation of powers. – The Central Government may by notification in the Official Gazette, direct that the power to make rules under section 8 Shall subject to such conditions, if any as may be specified in the notification be exercisable also by a State Government.

13. Power to exempt. – The central Government may, by notification² in the official Gazette, and subject to such conditions as it may think fit to impose, exempt any spirituous preparations from all or any of the provisions of this Act on the ground that the spirituous preparation is ordinarily required for medicinal, scientific industrial or such like purposes.

14. Officers acting under this Act to be public servants. – All officers empowered to exercise any powers or to perform any duties under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

15. Protection of action taken in good faith. – No suit prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or person empowered to exercise powers or to perform duties under this Act for anything in good done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

16. Saving of local and special laws. – Nothing in this Act or in the rules made thereunder shall affect the validity of any provincial act or a state Act for the time being in force, or of any rule, regulation or order made thereunder, which imposes any restriction not imposed by or under this Act, or imposes a restriction greater in degree than a corresponding restriction imposed by or under this Act on the traffic in any spirituous preparation within the territories of the state.

4-A. The United Provinces Opium smoking Act, 1934¹

(U.P. Act No. III of 1934)

Amended by the

U.P. Act No. XXV of 1953 2 U.P. Act. No. XXIII of 1961

**Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian
Laws) Order, 1937**

Adapted and modified by the adaptation of Laws Order, 1950

Received the assent of the Governor on March 17, 1934, and the Governor General on April 19, 1934 and was published 3 under Section 31 of the Government of India Act on May 5, 1934.

Passed in Hindi By the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 1953, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 29, 1953.

Received the assent of the President on October 6, 1953 under Article 201 of the constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated October 9, 1953.]

An Act to amend the Law relating to opium smoking in the United Provinces.

Whereat it is expedient to amend the law relating to opium smoking in the United Provinces with a view to make provision for the registration of persons who are opium smokers and to secure the ultimate prohibition of opium smoking in the United Provinces.

And whereas the previous sanction of the Governor General has been obtained under sub-Section (3) of Section 80-A of the Government of India Act to the passing of this Act;

It is hereby enacted as follows:

Chapter I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement –(1) This Act may be called the United Provinces Opium Smoking Act, 1934.

(2) It extends to the whole of [Uttar Pradesh.]⁴

(3) It Shall come into force on such date⁵ as the [State Government]⁶ may, by notification, appoint on this behalf; and on and from that date the unified Provinces Opium Smoking Act, 1925 shall be repealed.

2. Definitions- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context

(1) " opium" has the same meaning as in the Opium Act, 1878,

(2) "prepared opium" means any product of opium obtained by any operation or series of operations designed to transform opium into an extract suitable for smoking, and includes chandu, madak and the dross or other residue remaining after opium is smoked,

(3) "Place" includes a building house, shop, booth, tent, vessel, raft and vehicle and any part thereof;

(4) "Collector" Means the chief officer in charge of the revenue administration of a district, and includes a Deputy Commissioner and the Superintendent, Dehradun;

(5) "Magistrate" means a Magistrate of the first Class or a Magistrate of the 2nd class specially empowered by the [State Government]¹ to try cases under this Act;

(6) "Excise Commissioner" means the officer Appointed by the State Government under Section 10(2) (a) of United Provinces Excise Act, 1910;

(7) "Officer of the Excise Department" means the Excise Commissioner or an officer appointed under Section 10 (2) (d) of the United Provinces Excise

Act, 1910, and includes, an officer or person empowered under Section 10 (2) (e) of that Act;

- (8) "Notification" means a notification published in the official Gazette; and
- (9) "registered smoker" means a person registered under the provisions of this Act as a smoker of prepared opium.

Chapter II

Prohibition and Control

3. Register of Smokers – (1) The [State Government]¹ shall cause a register to be prepared of persons who are not under the age of twenty-five years and who are in the habit of smoking prepared opium.

(2) Such register shall be prepared by such authority and in such manner as the [State Government]¹ may, by rules made under this Act, prescribe, and shall contain such particulars, and shall be in such form as the Excise Commissioner may by notification prescribe.

(3) Such register shall be closed on a date to be fixed and notified in the official Gazette by the [State Government]¹ and , subject to such exceptions as the [State Government]¹ may by notification prescribe, no such entry shall be made thereon after such date.

(4) All persons who are eligible for being registered under this Act a of prepared opium shall, up to the date fixed for closing the entries in the be considered as registered smokers, whether their names are actually in the register or not.

4. Smoking prepared opium by registered smoker- (1) No person , not a registered smoker, shall smoke or manufacture or possess prepared in any quantity whatsoever.

2. Manufacture and possession by registered smoker- No registered shall have in this possession, or shall manufacture, at any one time, opium in excess of half a tola in weight or such other lesser quantity as state Government]¹ may by rule made under this Act, prescribe-

Provided that in no case shall a registered smoker manufacture any opium from opium obtained otherwise than in accordance with rules under Section 5 of the Opium Act, 1878 and no registered smoker shall in his possession any quantity of prepared opium so manufactured.

(3) Assistance in the manufacture of prepared opium-No person shall another, whether a registered opium smoker or not, in the manufacture of prepared opium.

5. Presumption of smoking prepared opium in certain cases – If any person, not being a registered smoker, is found in possession of prepared opium or any apparatus used for the smoking of, or in the manufacture, of, prepared opium, it shall be presumed, until the contrary is proved, that such person smokes prepared opium.

6. Sale of prepared opium. – No person shall sell, expose or offer for sale, or attempt to sell prepared opium.

7. Opium smoking assemble- An assembly of two or more persons, whether registered smokers or not, is designated an opium smoking assembly if the common object of such persons is to smoke or manufacture prepared opium.

Explanation- An assemble which was not an opium smoking assemble when it assembled may subsequently become such an assembly.

8. Member of opium smoking assembly- Whoever being aware of facts which render an assembly an opium smoking assembly, joins that assembly or continue therein, is said to be member of that assembly.

9. Presumption raised by presence of opium and smoking apparatus- The presence of any prepared opium for or any pipes or apparatus for the smoking of prepared opium or of any apparatus used in the manufacture of prepared opium in any place where two or more persons, whether registered smokers or not, are assembled shall be held sufficient to raise a presumption that such persons have assembled at such place with the common object of smoking or of manufacturing prepared opium.

10. Powers to make rule- (1) The [State Government]¹ may by notification, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this a

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), such rules may,-

- a. prescribe the authority by whom, and the manner in which, the register referred to in section 3 shall be prepared and maintained;
- b. regulate the conditions and restrictions subject to which a registered smoker may manufacture, possess or smoke prepared opium;
- c. prescribe the conditions under which and the authority by whom the name of a registered smoker may be removed from the register;
- d. regulate the disposal of things confiscated under this Act; and
- e. prescribe and regulate the payment of rewards out of fines imposed under this Act.

(3) The power conferred by this section for making rules is subject to the condition that the rules be made after previous publication:

Provided that any such rules may be made, without previous publication if the [State Government]¹ considers that they should be brought into force at once.

11. Liability of a registered smoker to the removal of his name from the register of smokers- Any registered smoker who does not comply with the conditions and observe the restrictions prescribed by rules made under this Act, shall, in addition to the penalties hereinafter prescribed, be liable to have his name removed from the register of smokers.

Chapter III

For smoking by unregistered smoker

12. Whoever, not being a registered smoker, smokes prepared opium shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

13. For unauthorized manufacture or possession of prepared opium- Whoever, in contravention of section 4, manufactures or has in his possession prepared opium or assists any other person in the manufacture of prepared opium, shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

14. For being a member of an opium smoking assembly- Whoever is a member of an opium smoking assembly shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

15. For Keeping or having charge of place used for smoking prepared opium- Whoever opens, keeps or uses any place or permits any place to be opened, kept or used for the purposes of an opium smoking assembly, or has the care or management of, or in any way assists in conducting the business of, any place used or kept for the purposes aforesaid, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

16. For selling prepared opium- Whoever sells, or exposes or offers for sale, or attempts to sell prepared opium shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

17. For abetment of offences- Whoever abets an offence punishable under this Act shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment, and notwithstanding any thing contained in section 116 of the Indian Penal code be punished with the punishment provided for such offence.

18. Enhanced punishment after previous conviction – Whoever, having been previously convicted of an offence under this Act, is again convicted of an offence under this Act, Shall be liable for such subsequent offence to twice the punishment which might be imposed on a first conviction:

Chapter IV

Procedure

19. Search warrant and power to search. – If a magistrate, upon information received and after such inquiry (if any) as he considers necessary, has reason to believe that any place is used for the commission of an offence under this Act, he may issue a warrant to an officer of the Excise Department not below such rank as the Local Government may prescribe authorizing him-

- (a) to enter such place by day or by night with any person whose assistance such officer may consider necessary;
- (b) to search all or parts of such place in which such officer has reason to believe that any prepared opium or any apparatus for the manufacture of prepared opium or for smoking prepared opium is concealed and all or any persons whom he may find in such place;
- (c) to arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of an offence under this Act; and
- (d) to seize all prepared opium, apparatus for smoking prepared opium or for the manufacture of prepared opium and any other article used for the manufacture of prepared opium and any other article used for the commission of an offence under this Act, Which may be found in such place.

[19-A. Power to search- Whenever the Collector or any officer of the Excise Department authorized in that behalf by the State Government, or a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in any place and anything necessary for purposes of investigation into the offence may be found in any place within the limits of his territorial jurisdiction and that such a thing cannot, in his opinion be otherwise

obtained without undue delay, he may after recording in writing the grounds of his belief search or cause search to be made of any such place

[20. Applicability of the Code of Criminal Procedure, 1898 to warrant and search- (1) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1898, including provision as to the searches contained in sections 102 and 103 thereof, shall in so far as not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the execution of warrants for arrest and to a search made under this act.

(2) Where a search is made under Section 19-A, copies of any record made under that section shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place of search shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate:

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.]

21. Report to be made in case of arrest of seizure- Whenever any officer makes any arrest or seizure under this Act, he shall within twenty four hours next after such arrest or seizure, make a full report of all particulars thereof to his immediate official superior, and every person arrested and every article seized shall be forwarded without delay to the officer by whom the warrant was issued or to the nearest police station.

22. Bail and security- When any person arrested under this Act is prepared to furnish bail, he shall be released on bail, or at the discretion of the officer making the arrest on his personal bond.

23. Aid to officers of excise Department.- Every officer of the police and Land Revenue Departments, every [Pradhan and Secretary of a Gaon Sabha]²] and every village chaukidar shall, upon notice given or request made to him be bound to give reasonable aid to any officer of the Excise Department in carrying out the provisions of this Act.

24. Confiscation and destruction of prepared opium and things seized. – On the conviction of any person for an offence under this Act, the court

may order that any prepared opium or any instrument or apparatus in respect of or by means of which, such offence has been committed or any receptacle, package or covering in which such prepared opium, instrument, or apparatus was found and any other contents of such receptacle, package or covering shall be confiscated or destroyed.

25. Cognizance of offences.- No Magistrate shall take cognization of an offence punishable under this Act except on the complaint or report of the Collector or an officer of the excise Department not below the rank of an excise Inspector.

Chapter V

Miscellaneous

26. Bar of certain suit.- No suits shall lie in any Civil Court against the 3[Government] or a collector or [any officer of the excise, police or land revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or Village Chaukidar]¹ for damages for any act in good faith done or ordered to be done in pursuance of this Act.

27. Limitation of suit and prosecution.- No Civil Court shall try any suit against the 2[Government] or a collector or [any officer of the excise, Police or land Revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or village Chaukidar]¹ in respect of anything done in pursuance of this Act and except with the previous sanction of the [state Government]³ no magistrate shall take cognizance of any charge made against any person under this act, unless the suit or prosecution is instituted within six months after the date of the act complained of.

28. Tender of pardon to accused person turning approver.-(1) Whenever two or more persons are prosecuted for any offence under this Act, the Magistrate may if, for reasons to be recorded by him, he thinks fit, tender to any such person a pardon on condition of his making a full and true disclosure of all facts connected with the offence.

(2) Such person shall become a competent witness in the case and will not be liable to punishment for such offence so long as such pardon remains.

29. Saving of the dangerous Drugs Act, 1930- Nothing in this Act or in the rules made under this Act shall affect the validity of the Dangerous Drugs Act, 1930 or of any rule made thereunder which imposes any restriction not imposed by or under this Act or imposes a restriction greater in degree than a corresponding restriction imposed by or under, this Act, on the consumption of, or traffic in, prepared opium within [* * *]4 India.

Note on

4-B. U.P. Opium smoking Act, 1934

(Act no. III of 1934)

Object of the Act. – This Act was enacted with a view to make provisio for the registration of opium smokers and to secure ultimate prohibition of opiu smoking in Uttar Pradesh.

Section 3 of the Act Provides for the registration of opium smokers. The registration was finally closed on 30th September, 1936. Under the U.P. opiu Smoking rules, 1935, no registered smoker shall manufacture or posse prepared opium at any one time in excess of half a tola in weight.

Prepared opium is defined under Clause (2) of Section 2 of the Act. The forms in which opium is commonly prepared for smoking are those known chandu and madak.

Section 4 of the Act provides that smoking or manufacture or possession prepared opium by an un-registered smoker is prohibited in any quantiti whatsoever.

Section 5 provides that if an un-registered opium smoker is found possession of prepared opium or any apparatus used for smoking or in the manufacture of prepared opium, it shall be presumed unless the contrary proved, that such person smokes prepared opium.

Section 7 mentions that where two or more persons, whether registered smoker or not assemble with the common object of smoking or manufacturing prepared opium, such assembly shall be called opium smoking assembly.

Section 6 prohibits sale or attempt to sell of prepared opium.

Section 7 mentions that where two or more persons, whether registered smoker or not assemble with the common object of smoking or manufacturing prepared opium, such assembly shall be called opium smoking assembly.

Section 8 provides that if any person joins opium smoking assembly knowing it to be such an assembly, he will be said to be a member of that assembly.

Section 9 provides that if any prepared opium and smoking apparatus is found in any place where two or more persons have assembled, it shall be presumed that such persons have assembled at such place with common object or smoking or of manufacturing prepared opium.

Section 10 empowers the State Government to make rules under the Act.

Section 11 provides that if a registered opium smoker does not comply with the conditions and observe the restrictions under the rules, his name shall be removed from the register of smokers besides, the punishment prescribed.

Punishment Section 12 to 15 of the Act provide punishment in respect of the following offences.

Note on U.P. opium smoking Act. 1934

| | |
|---|--|
| (a) for smoking by unregistered smoker (Section 12). | Imprisonment upto three months or fine upto Rs.500/-or both |
| (b) for unauthorized manufacture or possession of prepared opium (vide Section 13). | Imprisonment upto one year or fine upto Rs . 1,000/- or both |
| (c) for being members of an opium smoking assembly (vide Section 14.). | Imprisonment upto one year or fine upto Rs. 500/-or both. |
| (d) for using or permitting any place to be for the purpose of opium smoking assembly (Section 15). | Imprisonment upto one year or fine upto Rs 1,000/- or both. |
| (e) for selling prepared opium (Section 16) | Imprisonment upto one year or fine upto |

| | |
|---|--------------------------------------|
| | Rs. 1,000/-or both |
| (f)for abetment of offences (vide section | Punishment provided for the offence. |

Searchwarrant and power to search. – Under Section 19 of the Act, a Magistrate may issue a warrant for the search of a place used for the commission of an offence to an officer of the Excise Department not below the rank prescribed by the Government.

Power to search a place without warrant. – Section 19-A of the Act provides that officers of the Excise Department not below the rank of an excise inspector and police officers not below the rank of an officer-in-charge of a police station, are authorized to search for purpose of investigation any place without a warrant after recording grounds, if he has reason to believe that an offence has been or is being committed under the Act.

N.D.P.S. Act, 1985 and U.P. Opium Smoking Act, 1934- Section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 prohibits manufacture, possession, sale, purchase, transport, import inter State, export inter state, or use of prepared opium and section 17 of this Act provides punishment of rigorous imprisonment upto twenty years and fine upto Rs. 2 Lakh. Manufacture, possession and sale of prepared opium have been also prohibited under Sections 4 and 6 of the U.P. Smoking Act, 1934, but these are punishable with one year's imprisonment or fine of one thousand rupees or both under Sections 13 and 16 of this Act. As the N.D.P.S Act provides punishment greater in degree than that provided by the U.P. Opium smoking Act, the validity of Sections 4, 6, 13 and 16 are effected in respect of the above matters. However, the U.P. opium Smoking Act prohibits smoking of prepared opium in section 4 (1). Section 5 raises a presumption of smoking prepared opium, if a person is found in possession of prepared opium or any apparatus used for the smoking prepared opium, section 6 mentions, as to what will be designated as opium smoking assembly and Section 8 mentions as to when a person will be rendered member of an opium smoking assembly. Section 9 provides for presumption to be raised by presence of opium and opium smoking apparatus. Section 12 of this Act provides punishment for smoking of prepared opium, Section 14 provides punishment for being a member of opium smoking assembly and Section 15 provides punishment for keeping or having charge of a place used for smoking assembly and section 15 provides punishment for keeping or having charge of a place used for smoking prepared opium. But the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, does not have any provision relating to smoking of prepared opium, being member of opium

smoking assembly and use of a place for opium smoking. Smoking act is not affected. The validity of Sections 4(1), 5, 7, 8, 12, 14 and 15 of the U.P. opium smoking Act is not affected. The validity of sections 11, 17, 18, 19 and 19-A is not affected by the NDPS Act so far as the offences relating to smoking of prepared opium, being member of opium smoking assembly and use of a place to smoking prepared opium are concerned.

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, बुधवार, 28 फरवरी, 2001 ई०
फाल्गुन 09, 1922 शक सम्वत्
उत्तरांचल सरकार
आबकारी अनुभाग
संख्या:1357, देहरादून, 28 फरवरी, 2001
अधिसूचना

सा0प0नि0-002

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं:-

यह गजट में उसके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नवीन व्यवस्था:-

1. मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन अभिकर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।
2. मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2001-2002 में दुकान की वास्तविक बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और यह राशि देशी मदिरा के संबंध में न्यूनतम रु० दो लाख एवं अधिकतम दस लाख रु० तथा विदेशी मदिरा के संबंध में न्यूनतम रु० एक लाख एवं अधिकतम रु० दस लाख होगी।
3. चूंकि आबकारी राजस्व का मुख्य अंश उपभोग आधारित अभिकर होगा, अतः अभिकर व अनुज्ञापन शुल्क की दरों को इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा

जिससे कि उपभोग के आधार पर आगामी वर्ष में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

4. मदिरा की दुकानों की संख्या में वर्ष 2001-2002 के दौरान कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यथा आवश्यकता क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत दुकानों के स्थान में यथा नियम परिवर्तन किया जा सकेगा किन्तु पूर्व निषिद्ध स्थलों के साथ-साथ यात्रा मार्गों के मेन रोड़ पर मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जायेगी।
5. उत्तरांचल राज्य के निवासियों को मदिरा की दुकानों के आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
6. आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा दुकान संचालित करने की हैसियत के संबंध में कठोर जांच करायी जाने की प्रक्रिया नियत की जायेगी और दुकान का सबलेटिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी। सबलेटिंग की स्थिति पायी जाने पर अनुज्ञापन शुल्क जब्त करते हुए अनुज्ञापन निरस्त करने के कठोर नियम बनाये जायेंगे।
7. राज्य अन्तर्गत प्रतिवर्ष देशी मदिरा के लगभग सात करोड़ खाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ पशु हानि की भी घटनायें हो रही हैं जिस पर नियंत्रण हेतु पॉली पाउच के प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध किया जाना अनिवार्य है, किन्तु बड़ी संख्या में कांच की बोतलों की एक साथ व्यवस्था न होने तथा प्रदेश की देशी मदिरा के गोदामों की सीमित बोतल भराई क्षमता को दृष्टि में रखते हुए पॉली पाउच का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से ही बन्द किया जायेगा। ऐसी स्थित में प्रथम चरण 1 अप्रैल 2001 से 3 माह तक 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी पॉली पाउच में तथा 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी बोतलों में दी जायेगी। तदुपरान्त 1 जुलाई 2001 से देशी मदिरा की समस्त निकासी बोतलों में ही दी जायेगी।
8. वर्तमान में 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सादा तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मसालेदार देशी मदिरा बेची जा रही है जिसके स्थान पर 1 अप्रैल 2001 से

- 32 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली कन्ट्री रम देशी मदिरा की दुकानों से बेची जायेगी।
9. उत्तरांचल के जिन जनपदों में वर्तमान में परमिट की व्यवस्था है, वहां बाहर से आये पर्यटकों को बिना परमिट के भी विदेशी मदिरा बेची जा सकेगी।
 10. अभिकर की चोरी तथा मदिरा की तस्करी रोकने के लिए मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा।
 11. राज्य के बाहर की आसवनियों द्वारा इस राज्य में अपनी मदिरा के ब्राण्ड बेचने हेतु बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2 खोलने की व्यवस्था की गयी है, अतः इस निमित्त वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू0 दस लाख रखा गया है जबकि बीयर के लिए बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् रू0 पांच लाख, विदेशी मदिरा का अभिकर पूर्ववत् रू0 48/- प्रति ए0एल0 तथा राज्य की आसवनियों को अपनी विदेशी मदिरा का ब्राण्ड बेचने हेतु लिए जाने वाले अनुज्ञापन एफ0एल0-1 का अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् 2.5 लाख निर्धारित किया गया है, किन्तु जनपद में थोक विदेशी के अनुज्ञापन एफ0एल0-2 के अनुज्ञापन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
 12. पर्यटन व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए बार के अनुज्ञापन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
 13. सेना को मदिरा/बीयर की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी गयी है और इसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।
 14. राज्य अन्तर्गत भांग की दुकान का व्यवस्थापन

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई०
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

आबकारी आयुक्त कार्यालय

सं० 1509

दि० देहरादून 27 मार्च, 2001

अधिसूचना

उ०प्र० साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ०प्र० अधिनियम सं० 1904 का 1) की धारा-21 के साथ पठित उ०प्र० आबकारी अधिनियम, 1910 (उ०प्र० अधिनियम सं० 1910 का IV) की धारा-41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियम - 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियम - 2001 है।
 - (2) ये नियम 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम-6 (बी) में संशोधन: -

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके बाद उक्त नियम संदर्भित किया गया है, में नीचे स्तंभ-I में निर्दिष्ट उपनियम-6 (बी) हेतु स्तंभ-II में निर्दिष्ट उपनियम प्रतिस्थापित होगा।

| स्तंभ-I वर्तमान नियम | स्तंभ-II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|--|--|
| नियम-6 (बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की दो गुना के बराबर राशि, ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त के पक्ष में व्यवस्थित दुकान के संबंध में प्रतिभूति के रूप में देय होगी। जो राज्य सरकार को सभी दावों | नियम- 6 बी न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में, दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रतिभूति आबकारी |

| स्तंभ-I वर्तमान नियम | स्तंभ-II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|--|---|
| व देय राशियों के अंतिम निपटारे तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 15 दिन के भीतर या वर्तमान वर्ष के 31 मार्च, दोनों में जो पहले हो, के भीतर देय होगी। दुकान के व्यवस्थापन के समय न्यूनतम 50% राशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करानी होगी तथा बाकी, ऊपर निर्धारित किये अनुसार। | आयुक्त या जिला आबकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटारे तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी। |

3. नियम-11 (सी) का संशोधन: -

उक्त नियमों में, नीचे दिये स्तंभ-I में निर्दिष्ट उपनियम-11 (सी) में स्तंभ-II में निर्दिष्ट उपनियम प्रतिस्थापित होगा।

| स्तंभ-I वर्तमान नियम | स्तंभ-II एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| नियम-11 (सी) एक जिले में एक व्यक्ति को अधिकतम तीन दुकानें आबंटित की जा सकती हैं। | नियम-11 सी आबंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या के संबंध में कोई ऊपरी सीमा नहीं है। |

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई०
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal
Excise Department
No. 1510

Dated Dehradun, March 27, 2001

NOTIFICATION

In Exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the U. P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view of amending The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (First Amendment) Rules 2001.

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (First Amendment) Rules 2001. (2) They shall come into force from 1st April 2001.

(2) They shall come into force with effect from April 1, 2001

2. Amendment of Rule 6(b): In Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules 2001 here in after referred to as the said, for the Rule of sub Rule 6(b) set out in Column I below, the Rule as setout in Column II shall be substituted:-

| Column I | Column II |
|---|--|
| <i>Existing Rule</i> | <i>Rule as hereby substituted</i> |
| Rule 6 (b) | Rule 6 (b) |
| A sum equal to two times of Monthly Minimum Guaranteed Duty in cash to be | A sum equal to two times of Monthly Minimum Guaranteed |

deposited in government treasury as interest free security and bank guarantee equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner of District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit with 15 days from the date of settlement of shop or 31st March of the current year whichever is earlier. A minimum of 50% of security deposit shall have to be deposited in advance at the time of settlement of shop and the remaining thereafter as fixed above.

Duty in cash to be deposited in government treasury as interest free security deposit shall be payable 2 days from the date of settlement of shop and bank guarantee equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner of District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security within one month from the date of shop.

3. Amendment of Rule 10 (c)

In the said rules in the sub rule 10 (c) set out in column I below, the sub rule as set out in Column II shall be substituted.

Existing Rule

Rule 10 (c)

In One district one person can be allotted a maximum of two shops,

Rule as hereby substituted

Rule 10 (c)

In one district one person can be allotted a maximum of three shops.

(Subhash Kumar)
Excise Commissioner,
Uttaranchal

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई०
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

संख्या-सात-लाईसेंस-संसाधन/B.W.F.L.-2/2B/देहरादून, 27 मार्च, 2001

उत्तरांचल विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम नियम, 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'उत्तरांचल विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम नियम - 2001 होगा।
- (2) ये नियम 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : -

इन नियमों में, जब तक कि कुछ विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो : -

- (1) "अधिनियम" से यू०पी० आबकारी अधिनियम, 1910 (यू०पी० अधिनियम सं० 1910 का IV) अभिप्रेत है।
- (2) "बंधकाधीन मालगोदाम" से विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को उत्तरांचल के भीतर इसके परिवहन व विक्रय हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुमोदित, भारतीय संघ के भीतर किसी स्थान से उत्तरांचल में आयात या परिवहन भारत में निर्मित बोतल बंद विदेशी मदिरा के बन्ध पत्र के अधीन प्राप्ति व भण्डारण हेतु अधिनियम की धारा-(डी) के अधीन आबकारी आयुक्त उत्तरांचल द्वारा अनुज्ञापित एक मालगोदाम अभिप्रेत है।
- (3) "जिला आबकारी अधिकारी" से जिला स्टाफ के भू राजस्व विभाग का सहायक आबकारी आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार

के निदेशानुसार, कलक्टर द्वारा जिले के आबकारी प्रशासन के अधीनस्थ प्रभार में रखा गया है, अभिप्रेत है।

- (4) "आयात" व "परिवहन" शब्द प्रयोग से उनके लिये अधिनियम की धारा-3 (17) व 3 (19) में किये गये शब्द प्रयोग अभिप्रेत हैं।
- (5) "अनुज्ञापी" से, एक व्यक्ति, या एक फर्म या एक कम्पनी, जो कि विदेशी मदिरा का विनिर्माता है, जिसको एक बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है।
- (6) "अधिकारी प्रभारी" से बंधकाधीन मालगोदाम में कार्य पर्यवेक्षण हेतु आबकारी विभाग का अधिकारी, अभिप्रेत है।
- (7) इन नियमों के उद्देश्य हेतु विदेशी मदिरा से अभिप्राय होगा: —
 - (ए) भारत में निर्मित तथा इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्पिरिट ताकि वह भारत में आयातित मदिरा के स्वाद व रंग में समान हो।
 - (बी) भारत में बनायी गई बियर तथा
 - (सी) भारत में निर्मित वाइन्स और लिकर्स।
- (8) "राज्य" से, उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है।
- (9) आबकारी आयुक्त से धारा-10, उपधारा-2 खण्ड (ए) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुज्ञापन प्रदान करना : —

3. विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम के लाईसेन्स या स्थापना हेतु इन नियमों के अधीन नियत शर्तों व निबन्धनों की शर्त पर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा प्रदान की जायेगी।
4. (1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल-1 में किया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल-2 व बी डब्ल्यू एफ एल-2 बी से प्रदान की जायेगी। आबकारी आयुक्त, उसके द्वारा नियत

राशि हेतु प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल-2 में बंधपत्र के निष्पादन व अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों को पूरा करने के लिये, ₹01,00,000/- (एक लाख) की धरोहर राशि जमा करने की शर्त पर बी डब्ल्यू एफ एल-2 में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

- (2) धरोहर राशि, आबकारी आयुक्त के विधिवत रूप से गिरवी, नकद या ब्याजयुक्त सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी वचन पत्रों, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों, डाकघर बचत बैंक पास बुक या डाक घर नकदी पत्रों या भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीदों में प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) विदेशी मदिरा का बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने हेतु अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को प्रदान की जायेगी जो कि विदेशी मदिरा का विनिर्माता है।

5. अनुज्ञप्ति की अवधि : -

अनुज्ञप्ति, अधिकतम एक वर्ष के लिये तथा प्रदान किये जाने की तिथि के पश्चात् आने वाले 31 मार्च पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिये, अनुज्ञप्ति बी डब्ल्यू एफ एल-2 हेतु शुल्क के रूप में ₹0 3,34,593/- (तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानवे रुपये) व बी डब्ल्यू एफ एल-2 बी हेतु ₹0 1,67,297/- (एक लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तानवे) के भुगतान पर प्रदान या नवीनीकृत की जा सकती हैं।

6. विदेशी मदिरा, कलक्टर द्वारा जारी परमिट पर उत्तरांचल के बाहर किसी आसवक या बंधकाधीन मालगोदाम से ड्यूटी के भुगतान के बिना बन्धपत्र पर, निम्नलिखित नियमों के अधीन प्राप्त की जा सकती है : -

बंधकाधीन मालगोदाम में विदेशी मदिरा का आयात

7. बन्धपत्र में विदेशी मदिरा का आयात, आबकारी नियमावली, उत्तर प्रदेश, वॉल्यूम-1 (1974 संस्करण) के पैराग्राफ 609 से 613 में दिये गये नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा।

8. राज्य के भीतर एक आसवनी (जिसने उत्तरांचल में बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2 प्राप्त किया हो) में विनिर्मित विदेशी मदिरा का परिवहन, आसवनियों से निर्गमन से संबंधित नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा।
9. बंधकाधीन मालगोदाम में तब तक कोई मदिरा प्राप्त नहीं की जायेगी जब तक कि जिस आसवनी या बंधकाधीन मालगोदाम से यह आयातित या परिवहित की गई है उसके प्रभारी अधिकारी का पास इसके साथ न हो।
10. बंधकाधीन मालगोदाम में एक प्रेषण के पहुंचते ही, प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जायेगा तथा जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी पड़ताल व पास से इसका सत्यापन न कर दिया जाये, प्रेषण को खोला नहीं जायेगा जो कि इस हेतु रखे गये रजिस्टर में तथा प्रेषण के पास में परिणाम नोट करेगा। पास की एक प्रति जिसमें प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तुरन्त पास जारी करने वाले अधिकारी को वापस की जायेगी तथा दूसरी प्रति उस पर प्रविष्टियों के साथ, रिकार्ड हेतु रखी जायेगी।

भण्डारण व अभिवहन में हानि : —

11. किसी बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डार किये गये या बंधकाधीन मालगोदाम को अभिवहन के समय विदेशी मदिरा को आग, दुर्घटना, चोरी या चाहे किसी भी अन्य कारण से होने वाले नाश, हानि या नुकसान के लिये कोई छूट नहीं दी जायेगी। प्रेषण या भण्डारण में हानि को बंधकाधीन मालगोदाम से निर्गम समझा जायेगा तथा ड्यूटी का भुगतान तदनुसार किया जायेगा।
12. जब तक कि आबकारी आयुक्त विपरीत विशेष आदेश न दे, समस्त मदिरा सीलबंद बोतलों में बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डारित की जायेगी।
13. बंधकाधीन मालगोदाम से कोई मदिरा हटाई नहीं जायेगी : —
 1. जब तक कि निर्धारित दर पर ड्यूटी का भुगतान न कर दिया गया हो या अनुज्ञापी द्वारा इसके भुगतान हेतु बन्धपत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।

2. आई0एम0एफ0एल0 की प्रत्येक चौथाई, आधी और पूरी बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत स्वीकृत संख्यांकित सुरक्षा होलोग्राम न चिपकाया गया हो।
14. (i) विदेशी मदिरा, इसके परिवहन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अनुरूप राज्य में किसी अन्य बंधकाधीन मालगोदाम को बन्धपत्र में जारी की जायेगी।
- (ii) ड्यूटी का भुगतान कर बंधकाधीन मालगोदाम से केवल राज्य के विदेशी मदिरा के थोक विक्रेताओं को ही मदिरा जारी की जा सकेगी। बंधकाधीन मालगोदाम से जारी मदिरा का लेखा रजिस्टर में प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-6 में रखा जायेगा। अनुज्ञापी द्वारा, निर्धारित ड्यूटी का भुगतान दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान के साथ आवेदन पर ही मदिरा जारी की जायेगी। आवेदन प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-5 में होगा।
- (iii) मालगोदाम से कोई मदिरा हटाई नहीं जायेगी जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी जांच न कर ली जाये तथा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-7में उसके द्वारा पास प्रदान न किया जाये। पास की तीन प्रतियां तैयार की जायेंगी। परमिट की एक प्रति विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को दी जायेगी। दूसरी प्रति, जहां थोक दुकान स्थित है उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा तीसरी प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।
15. (i) अनुज्ञापी, बंधकाधीन मालगोदाम में विदेशी मदिरा की आपूर्ति, भण्डारण, उठाई धराई व जारी करने से संबंधी सभी उपकरण व भवन उपलब्ध करायेगा। बंधकाधीन मालगोदाम का परिक्षेत्र, जिस जिले में यह अवस्थित है, उस जिले के कलक्टर द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

- (ii) बंधकाधीन मालगोदाम का भवन या कमरे पक्के बने या ईंट निर्मित होने चाहिये। कमरों की या भवन की खिड़कियों पर मोटाई में कम से कम 20 मिलीमीटर के आघातवर्धनीय लोहे की सलाखें लगी हों जो एक दूसरे से अधिकतम 10 मिलीमीटर की दूरी पर हों तथा पक्की या ईंट की दीवार पर दोनों ओर कम से कम 50 मिलीमीटर की गहराई तक चिनी हों। खिड़की के अन्दर की ओर मोटी तार की जाली लगी हो जिसके छेद 25 मिलीमीटर से अधिक व्यास के न हों। मालगोदाम के भवन या मुख्य कमरे तथा क्रमशः प्रत्येक स्टोर रूम का एक ही प्रवेश द्वार होगा जो कि मालगोदाम के अहाते पर खुलना चाहिये तथा प्रत्येक का दरवाजा एक आबकारी ताले द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

परन्तु, आबकारी आयुक्त, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे विस्तार तक जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर सके, विशेष मामलों में, इस नियम में निर्धारित अपेक्षाओं को शिथिल कर सकता है।

16. बंधकाधीन मालगोदाम के कार्य को देखने के लिये प्रतिनियुक्ति प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति के घंटे, संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नियत किये जायेंगे।
17. (i) बंधकाधीन मालगोदाम, केवल उन्हीं लोगों के प्रवेश व निकासी हेतु खोले जायेंगे जिनको वहां कार्य है। आबकारी विभाग, भू राजस्व विभाग के अधिकारी, अनुज्ञापी उसके अभिकर्ता तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी को भी बंधकाधीन मालगोदाम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) अनुज्ञापी यदि स्वयं पर्यवेक्षण न करता हो तो वह एक सक्षम अभिकर्ता नियुक्त करने के लिये आबद्ध है जिसकी नियुक्ति, आबकारी उपायुक्त (अनुज्ञापन) मुख्यालय उत्तरांचल की स्वीकृति की शर्त पर की जायेगी।

- (iii) अनुज्ञापी, प्रभारी अधिकारी को उन अभिकर्ताओं व सभी कर्मचारियों की एक सूची सौंपेगा जिनका कार्यवश बंधकाधीन मालगोदाम में प्रवेश अपेक्षित है।
- (iv) प्रभारी अधिकारी, प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-5 में एक सूची रखेगा जिसमें अनुज्ञापी द्वारा बताये गये मालगोदाम के सभी कर्मचारियों के विवरणों का समावेश होगा तथा इसकी प्रति जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसरित करेगा। अनुज्ञापी ऐसी ड्यूटी पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिस पर जिला आबकारी अधिकारी को आपत्ति हो।
- (v) बंधकाधीन माल गोदाम में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मालगोदाम के अन्दर गतिविधियों व अपने चरित्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी के आदेश के अधीन होगा तथा प्रभारी अधिकारी के विवेकाधीन परिक्षेत्र छोड़ने के समय उसकी तलाशी ली जा सकेगी।
- (vi) यदि अनुज्ञापी की जानकारी में यह आता है कि उसके नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के किन्ही प्रावधानों या उसके अन्तर्गत निर्मित किन्ही नियमों या उसके द्वारा स्वीकार किये गये प्रबन्धों का कोई उल्लंघन किया है तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह इस मामले की रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को करे तथा ऐसे व्यक्ति का रोज़गार जारी रखने के संबंध में उपरोक्त अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करे।
- (vii) एक बंधकाधीन मालगोदाम का प्रभारी अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन नियमों का उल्लंघन किया है या करने वाला है या जो नशे में धुत या विच्छृंखल हैं, उसे बेदखल कर सकता है या अपवर्जित कर सकता है। इस नियम के अधीन सभी कार्यवाहियों, अपने वरिष्ठों की सूचना हेतु उसकी सरकारी डायरी में तत्काल दर्ज की जायेंगी।

(viii) अनुज्ञापी, विदेशी मदिरा के जारी किये जाने हेतु बंधकाधीन मालगोदाम के प्रबंधन के लिये उन सभी सामान्य नियमों जो कि पहले से प्रवृत्त हों या जो इसके पश्चात् वर्तमान आबकारी कानूनों के अधीन निर्धारित हों या किसी कानून के अधीन जो इसके पश्चात् अधिनियमित किया जाये तथा निजी बंधकाधीन मालगोदाम के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विशेष आदेशों द्वारा आबद्ध होगा तथा उसके द्वारा मदिरा जारी करने व भण्डारण इत्यादि में नियोजित सभी व्यक्तियों से इन सभी नियमों का पालन करवायेगा।

18. यदि अनुज्ञापी या उसका अभिकर्ता, अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों को भंग करता है या भंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो आबकारी आयुक्त, अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है तथा सम्पूर्ण या आंशिक धरोहर सरकार के लिये जब्त कर सकता है।

स्टाक मिलान तथा छीजन : —

19. दिन भर का सभी लेन-देन पूरा हो जाने के पश्चात्, प्रत्येक माह के अन्तिम दिन, प्रभारी अधिकारी, बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डारित विदेशी मदिरा का स्टॉक मिलान करेगा तथा प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-९ में, निर्धारित रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित करेगा। बंधकाधीन मालगोदाम में लेन-देन के संबंध में मालगोदाम खाते के मासिक संक्षिप्त विवरण की एक प्रति, प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-१० में प्रत्येक माह के पहले दिन जिला आबकारी व आबकारी उपायुक्त —अनुज्ञापन, मुख्यालय, उत्तरांचल के पास जमा की जायेगी।

प्रोफॉर्मा

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० — 1

यू०पी० आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-18(डी) के अधीन विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने हेतु आवेदन।

[नियम-4(1)]

(लागू न होने वाले अंक व शब्दों को हटा दें)

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तरांचल,

देहरादून

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी.....उत्तरांचल के.....जिले मेंपर विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना चाहता है।

2. आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माता है तथा उसके पास.....राज्य में.....प्रपत्र में विनिर्माण की अनुज्ञप्ति है। उसकी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या.....है।

3. आवेदक फर्म/कम्पनी, प्रदान/नवीनीकृत किये जाने वाली अनुज्ञप्ति निबंधनों व शर्तों का पालन करने के लिये सहमत है।

4. आवेदक/फर्म/कम्पनी ने ₹02,00,000/- (दो लाख) की अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान हेतु ट्रेजरी चालान सं०.....दि०.....संलग्न किया है।

5. आवेदक/फर्म/कम्पनी ने, जिस परिक्षेत्र में व्यापार किया जाना है, उसकी उपयुक्तता संबंधी, जिला कलक्टर या प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

6. आवेदक/फर्म/कम्पनी एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऐसी अनुज्ञप्ति को नियन्त्रित करने वाले अधिनियम के प्रावधानों तथा/या नियमों को भंग

करने के कारण कभी उसकी कोई आबकारी अनुज्ञप्ति निरस्त, निलम्बित नहीं की गई या नवीनीकरण हेतु अस्वीकृत नहीं की गई।

7. आवेदक अधोवर्णित रू0 1,00,000/- (एक लाख) की धरोहर राशि जमा करा रहा है।

क्र0सं0 प्रतिभूति मूल्य का प्रकार

8. आवेदक/फर्म/कम्पनी एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उसकी/फर्म की/कम्पनी की/पूर्ण जानकारी व विश्वास में, यहां दी गई सूचना सच व सम्पूर्ण है।

स्थान : — देहरादून
दिनांक : —

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 — 2
[देखिये नियम-4(1)]

विदेशी मदिरा का बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने या चलाने हेतु अनुज्ञप्ति

.....से प्रारम्भ हो कर, 31 मार्च.....(दोनों दिवस सम्मिलित कर) की अवधि मेंपरजिले में (पश्चात् 'अनुज्ञापित परिक्षेत्र' संदर्भित) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बन्धपत्र में भण्डारण हेतु अधिकृत करते हुएके(इसके पश्चात् 'अनुज्ञापी' संदर्भित) को यू0पी0 आबकारी अधिनियम, 1910 (1910 का अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये नियमों व आदेशों की शर्तों पर व उसके अधीन, एतद्वारा अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है, जिनके अनुज्ञापी या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति द्वारा भंग होने पर अनुज्ञापी पर दण्ड, धरोहर राशि की जब्ती व अनुज्ञप्ति का रद्दकरण किया जा सकता है।

शर्तें

1. अनुज्ञापी, अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के पश्चात् के 31 मार्च को समाप्त होने वाले अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु, अनुज्ञापन फीस के रूप में प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2 के लिये रू0 3,34,593/- (तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानवे) तथा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2 बी के लिये रू0 1,67,297/- (एक लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तानवे) की राशि अग्रिम रूप में सरकारी ट्रेजरी में जमा करेगा।

परन्तु, 01-05-2002 से 31-03-2003 की अवधि हेतु अनुज्ञापन फीस, वर्ष 2002-2003 के पूर्ण वर्ष के लिये नियत अनुज्ञापन फीस में से अप्रैल माह में वसूली गई अनुज्ञापन फीस की राशि घटाकर प्राप्त राशि के बराबर होगी। अनुज्ञापी को, इस विषय के नियमों के अधीन उपबंधित किये अनुसार रू0 1,00,000/- (एक लाख) की धरोहर राशि भी प्रस्तुत करनी होगी।

2. उक्त बंधकाधीन मालगोदाम से विदेशी मदिरा या तो राज्य में किसी अन्य बंधकाधीन मालगोदाम को बन्धपत्र में या राज्य के विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को ड्यूटी के भुगतान पर जारी की जायेगी।
3. (i) उक्त बंधकाधीन मालगोदाम से विदेशी मदिरा, आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा समय-समय पर नियत की गई क्षमता में जारी की जायेगी।

(ii) जारी किये जाने से पहले प्रत्येक पूरी, आधी व चौथाई बोतल पर, आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत स्वीकृत संख्यांकित सुरक्षा होलोग्राम चिपकाये जायेंगे।

4. बंधकाधीन मालगोदाम का प्रभारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त के आदेश लम्बित रहने तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से, ऐसी विदेशी मदिरा को जारी किये जाने से रोकने हेतु सशक्त है जिसे वह खराब समझे। ऐसी विदेशी मदिरा को उसे तुरन्त विशलेषण हेतु भेजना होगा।

5. अनुज्ञापी के, खुदरा विक्रेता द्वारा ब्रांड विशेष की मांग व आवश्यकता को देखते हुए, आबकारी आयुक्त, अनुज्ञापन, उत्तरांचल द्वारा नियत गोदाम पर प्रत्येक ब्रांड का ऐसा न्यूनतम स्टॉक रखना होगा।
6. अनुज्ञापी, गोदाम पर विदेशी मदिरा के उचित चलन व भण्डारण हेतु उत्तरदायी होगा। अनुज्ञापी, अपने स्टाफ के भण्डारण हेतु आवश्यक रैक्स, अलमारी, बक्से तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायेगा। उसे इन पर अपने ताले लगाने की छूट होगी।

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 4

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम में प्राप्ति की पंजी

| माह व दिनांक | मदिरा का विवरण | स्थान तथा पास का विवरण जिस के अधीन मदिरा का प्रत्येक प्रेषण प्राप्त किया | | | बोतलों की संख्या में प्रविष्ट की जाने वाली बोतलबंद स्पिरिट/बीयर की रसीद | | | |
|--------------|----------------|--|---------|--------|---|--------------------------|---------------|---------|
| | | | | | बोतलों की संख्या | प्रत्येक बोतल में क्षमता | कुल बल्क लीटर | तीव्रता |
| | | स्थान | पास सं० | दिनांक | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

टिप्पणी : – प्रत्येक प्रकार की मदिरा हेतु एक भिन्न पंजी रखी जाये।

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० — 5

विदेशी मदिरा की निकासी हेतु आवेदन

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम.....

महोदय,

कृपया निम्नलिखित विवरण अनुसार विदेशी मदिरा की निकासी हेतु पास प्रदान करने की कृपा करें। उस पर ड्यूटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, देखें ट्रेजरी चालान सं०.....दिनांक.....

भवदीय

हस्ताक्षर

.....पर थोक विक्रेता

| प्रेषिती का नाम | विदेशी मदिरा का विवरण | मात्रा बी०एल० में | मात्रा ए०एल० में | ड्यूटी |
|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | |

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० - 6

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम से निकासी की पंजी
पर[illegible]

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 7

.....पर विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम से निकासी कवर करने
वाला पास

संख्या : –

दि0.....

1. प्रेषक का नाम
2. प्रेषिती का नाम
3. स्थान जहां के लिये निकासी की गई तथा मार्ग जिसके
द्वारा माल भेजा गया
4. परमिट की संख्या व दिनांक, यदि कोई है ।
5. विवरण के लिये नीचे देखें

प्रभारी अधिकारी

.....पर बंधकाधीन मालगोदाम

| विदेशी मदिरा का विवरण | ब्रांड | बैच संख्या | बोतलें (समाविष्ट मात्रा) | | | कुल बल्क लीटर |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------|----|----|------------------|
| | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | |

(467)

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० - ८

.....पर विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम में नियोजित व्यक्तियों की सूची

| क्रम संख्या | पदनाम के साथ, नियोजित व्यक्तियों का नाम व पता | नियोजित व्यक्ति को आबंटित कार्य | बंधकाधीन मालगोदाम में नियुक्ति की दिनांक | व्यक्ति के नियोजन के अनुमोदन का जिला आबकारी अधिकारी के आदेश का संदर्भ |
|-------------|---|---------------------------------|--|---|
| | | | | |

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० - ९
(नियम-१०)

बंधकाधीन मालगोदाम के अनुज्ञप्ति परिक्षेत्र में बोटलबंद विदेशी मदिरा का मासिक स्टॉक मिलान

[illegible]

(468)

प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल० – 10

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम का खाता (लेजर)

| विदेशी मदिरा का विवरण | ब्रांड का नाम | पिछले माह के अन्त में अवशेष स्टॉक | पंजी के अनुसार वर्तमान माह में प्राप्तियाँ | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------|---------------------|--------|
| | | | | दिनांक | प्रेषक का नाम व पता | मात्रा |
| | | | | | बल्क | ए०एल० |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | |

| माह के दौरान निकासी | | वर्तमान माह के अन्त में अवशेष | | टूट-फूट | | टिप्पणी |
|---------------------|-------|-------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| बल्क | ए०एल० | बल्क | ए०एल० | बल्क | ए०एल० | |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| | | | | | | |

एफ0एल0 2

(अनुज्ञापन का प्रकार)

(पैरा 639)

लाईसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा/बियर (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाईसेंस वर्ष 2001-2002

रजिस्टर संख्या

लाईसेंस धारक का नाम :- के स्थान पर जिला में विकृत स्प्रिट से भिन्न उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री के लिए दिनांक 1.4.2001 से दिनांक 31-3-2002 तक के लिए लाईसेंस, जिसके लिए लाईसेंस फीस रुपये, जिसका 1/6 भाग अग्रिम जमा कर दिया गया है व जिसका ट्रेजरी चालान संख्या दिनांक है व जिसकी शेष लाईसेंस फीस की मासिक किस्तें निम्न प्रकार जमा की जायेगी :-

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1/12 20 अप्रैल, 2001 तक | 1/12 20 जुलाई, 2001 तक | 1/12 20 अक्टूबर, 2001 तक | 1/12 20 जनवरी, 2002 तक |
| 1/12 20 मई, 2001 तक | 1/12 20 अगस्त, 2001 तक | 1/12 20 नवम्बर, 2001 तक | 1/12 20 फरवरी, 2002 तक |
| 1/12 20 जून, 2001 तक | 1/12 20 सितम्बर, 2001 तक | 1/12 20 दिसम्बर, 2001 तक | 1/12 20 म 2002 तक |

यदि अनुज्ञापी के विरुद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च में देय लाईसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित कर ली जायेगी। प्रतिभूति के रूप में रुपये 50,000/- (पचास हजार) का, जिसका विवरण लाईसेंस के अन्तिम पृष्ठ में दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित शर्तों, के जिनमें से किसी व्यतिक्रमण या संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1910 या स्वापक औषधीय और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त अनुज्ञापन तथा प्रतिभूति समपहरणीय होंगे और अनुज्ञापी नियमों के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रतिभागी होगा।

शर्तें

1. बिक्री केवल लाईसेंस प्राप्त परिसर में की जायेगी, उसी परिसर में देशी शराब नहीं रखी जायेगी व उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा। यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विदेशी शराब की बिक्री को उसके अस्वस्थकर होने के कारण प्रतिबंधित किया हो, तो इस लाईसेंस के अधीन उक्त शराब नहीं रखी जायेगी तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।
2. लाईसेंसधारी अपनी दूकान से सम्बन्धित विदेशी मदिरा/बियर का अपना समस्त स्टॉक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए वह लाईसेंसधारण करता हो।
3. भारत में बनी व्हिस्की, रम, जिन या ब्राण्डी एक बार में अड़तालीस बोतल (750 एम.एल.) (या अद्धे, पौवो में इसके समकक्ष मात्रा) और बियर की दशा में एक बार में 96/192 बोतल 650/325 मिली लीटर या 500 एम0एल0 के 120 कैन से कम की बिक्री नहीं की जायेगी।
4. 750 मिली लीटर, 375 मिली लीटर, 180 मिली लीटर तथा 90 मिली लीटर की धारिता वाली केवल कांच की बोतलों में भारत में बनी व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन या रम की बोतलों के अतिरिक्त अन्य धारिता की बोतलों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। बियर की बिक्री 650 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 की कांच की बोतलों व 500 एम0एल0 के धातु के केन में की जा सकेगी।
5. बोतलों में भरे हुये तरल द्रव्य की मात्रा का उल्लेख लेबिल पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा, चाहे बोतल भराई भारत वर्ष में हुई हो या विदेश में की गयी हो।
6. एफ0एल0-2 से विक्रय की जाने वाली ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी0/वी0 से कम नहीं होगी, जब तक कि आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन मदिरा के अल्कोहल प्रतिशत में कमी करने की अनुमति न ले ली गयी हो। 37 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली जिन की बिक्री भी एफ0एल0-2 से की जा सकेगी।

7. बिक्री प्रातः 10 बजे से पूर्व तथा सायं 6 बजे के बाद नहीं की जायेगी।
8. अनुज्ञापन के अधीन बोतलों की भराई निशिद्ध है, जबतक कि इस अनुज्ञापन के अतिरिक्त बोतल भराई का दूसरा अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा न प्रदान कर दिया गया हो।
9. शराब में कोई औषधि, द्रव्य, घातक पदार्थ नहीं मिलाया जायेगा।
10. इस लाईसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा या उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।
11. दुकान के प्रवेश द्वार पर एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर अनुज्ञापन का नाम और विदेशी मदिरा के लाईसेंस प्राप्त थोक अनुज्ञापी का नाम एवं वर्ष अंकित किया जायेगा।
12. लाईसेंसधारी निर्धारित प्रारूप के रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा और उसको सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत करेगा।
13. थोक परिसर से विदेशी शराब एवं बियर का परिवहन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पासबुक से आच्छादित होगा। पासबुक पर केवल अनुज्ञापी अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमादित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगे।
14. लाईसेंस धारी अपने लाईसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जबतक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर से अनुमोदित न हो और लाईसेंस में उसके द्वारा पृष्ठांकित न किया गया हो।
15. लाईसेंसधारी इस लाईसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए नियमों के अधीन प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगा।

16. लाईसेंसधारी विदेशी शराब एवं बियर की आपूर्ति प्रदेश में स्थित विदेशी शराब के बन्धित गोदामों अथवा आसवनियों से आई0एम0एफ0एल0 पर 48/- रुपये प्रति एल्कोहल लीटर व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक व 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रुपये तथा 23.10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त करेंगा। मदिरा एवं बियर की प्रत्येक बोतल के लेबिल पर "फार सेल इन उत्तरांचल" छपा होगा।
17. बार अनुज्ञापियों तथा क्लब परमिट धारको को भारत में बनी ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की 750 एम0एल0 की मानक बोतलों के सिवाय अन्य धारिता वाली बोतलों की बिक्री नहीं की जायेगी।
18. लाईसेंसधारी, फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार विदेशी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। किसी जनपद के एफ0एल0-2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0-2 या आसवनी से विशेष परिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय, उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0-5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।
19. प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाईसेंस धारण करने वाला कोई लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा एवं बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय उत्तरांचल की अनुमति से बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परमिटधारको को उत्तरांचल के किसी भी एफ0एल0-2 अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा एवं बियर क्रय करने की छूट होगी।
20. ड्राफ्ट बियर केवल एफ0एल0-6 समिश्र एफ0एल0-6क तथा एफ0एल0-7, अनुज्ञापियों को ही बेची जायेगी।

21. लाईसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर से बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा एवं बियर का नाम तथा उसके मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगे और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
22. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।
23. एफ0एल0-2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0-2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0-2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0-5डी व बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परमिटधारकों को दी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेश में जमा राशि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त निकासी आदेशों का मासिक विवरण एफ0एल0-2 पर निम्न प्रारूप में रखा जायेगा :—

| क्र० सं० | माह का नाम | फुटकर अनुज्ञापी का नाम | जिला आबकारी अधिकारी का आदेश सं० व दिनांक | मदिरा की मात्रा | | आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर |
|----------|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|------------------------------|
| | | | | अभिकर वार | योग बोतलों में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

इस रजिस्टर का मासिक सारांश अगले माह की 3 तारीख तक एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर जिला आबकारी एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त उत्तरांचल प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी द्वारा निम्न विवरण भी आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त,

उत्तरांचल व जिला आबकारी अधिकारी को उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :—

विदेशी मदिरा
(बोतलों में)

बियर
(बोतलों में)

1. माह का प्रारम्भिक स्टॉक
2. माह में प्राप्ति
3. योग
4. माह में बिक्री
5. अवशेष स्टॉक

24. एफ0एल0-5डी व बार अनुज्ञापी तथा क्लब परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे:—

(1) दुकान का नाम —

(2) अनुज्ञापी का नाम —

दुकान की चौहद्दी { पूर्व —
पश्चिम —
उत्तर —
दक्षिण —

| क्रमांक | माह का नाम | माह में देय वार्षिक गारन्टीड ड्यूटी / ड्यूटी की राशि | राशि जमा होने का विवरण | | जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एफ0एल0-2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक | मदिरा की मात्रा | | आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर |
|---------|------------|--|------------------------|--------|---|-------------------|----------------|------------------------------|
| | | | ट्रेजरी चालान सं0 | दिनांक | | अधिकार वार संख्या | योग बोतलों में | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अप्रैल | | | | | | | |
| 2 | मई | | | | | | | |
| 3 | जून | | | | | | | |
| 4 | जुलाई | | | | | | | |
| 5 | अगस्त | | | | | | | |
| 6 | सितम्बर | | | | | | | |
| 7 | अक्टूबर | | | | | | | |
| 8 | नवम्बर | | | | | | | |
| 9 | दिसम्बर | | | | | | | |
| 10 | जनवरी | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | फरवरी | | | | | | | |
| 12 | मार्च | | | | | | | |

निकासी के लिए जारी जिला आबकारी अधिकारी के आदेश एफ0एल0-2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगे। निकासी के उपरान्त इस आदेश पर "निरस्त" की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे व पदनाम की मोहर लगायेंगे।

प्रत्येक माह में गारंटीड ड्यूटी की राशि से अधिक (आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित ड्यूटी की बढ़ी दर पर अभिकर की अतिरिक्त राशि जमा कराने पर) निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :-

| क्र.सं. | माह का नाम | जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान सं० व दिनांक सहित | बोतलों की संख्या | | जिला आबकारी अधिकारी के आदेश सं० व दिनांक | आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर |
|---------|------------|---|------------------|-----|--|------------------------------|
| | | | अभिकर वार | योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अप्रैल | | | | | |
| 2 | मई | | | | | |
| 3 | जून | | | | | |
| 4 | जुलाई | | | | | |
| 5 | अगस्त | | | | | |
| 6 | सितम्बर | | | | | |
| 7 | अक्टूबर | | | | | |
| 8 | नवम्बर | | | | | |
| 9 | दिसम्बर | | | | | |
| 10 | जनवरी | | | | | |
| 11 | फरवरी | | | | | |
| 12 | मार्च | | | | | |

पास बुक के पृष्ठों पर नम्बर डाले जायेंगे, जिनका सत्यापन आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। एफ0एल0-2 से निकासी तभी दी जायेगी जब अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी का निकासी आदेश एवं उपरोक्तानुसार अपनी निकासी की पासबुक एफ0एल0-2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आबकारी निरीक्षक

का दायित्व होगा कि वह निकासी की पासबुक में प्रविष्टियां करने व उस पर अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही मदिरा की निकासी दें। निकासी के लिए ट्रान्सपोर्ट पास पूर्व की भांति जारी किये जायेंगे व एफ0एल0-2 अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि भी पूर्व की भांति अनुरक्षित किये जायेंगे।

25. अनुज्ञापी एफ0एल0-2 पर प्राप्त मदिरा के एक्स आसवनी दामों में 24 घंटे के भीतर संयुक्त आबकारी आयुक्त देहरादून को अवगत करायेंगे। मदिरा के एक्स आसवनी दामों के आधार पर संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा प्रति बोतल अभिकर की राशि का ब्राण्डवार निर्धारण किया जायेगा व इसकी सूचना एफ0एल0-2 अनुज्ञापी को तुरन्त दी जायेगी, जिसके आधार पर एफ0एल0-2 से विदेशी मदिरा की निकासी फुटकर विक्रेताओं को दी जायेगी।

लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान की गयी प्रतिभूति का विवरण

लाईसेंस प्रतिभूति के रूप में रुपये 50,000/- (पचास हजार) मात्र जिसकी प्रविष्टियां निम्न प्रकार हैं, इस कार्यालय में जमा कर दी है:-

| क्रमांक | प्रतिभूति का प्रकार | प्रविष्टियां | मूल्य |
|---------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | | | 50,000 / - |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

जिलाधिकारी

जनपद

दुकान का परिसर एवं विक्रेताओं का ब्योरा जो सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क-1- परिसर की प्रविष्टियां भवन सं. व स्थिति :

2- चौहद्दी उत्तर :.....
 दक्षिण :.....
 पूरब :.....
 पश्चिम :.....

ख-विक्रेता

| क्रमांक | नाम | पिता का नाम | पता |
|---------|-----|-------------|-----|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

दिनांक :

जिलाधिकारी
जनपद

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, मंगलवार 11 अप्रैल, 2001 ई०
चैत्र 21, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
संयुक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय

संख्या: 319-331/सात-लाइसेंस/संसाधन/नीति/2001-2002
देहरादून, 11 अप्रैल, 2001

सा०प०नि०-013

वर्ष 2001-2002 के लिए एफ०एल०-1, बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2, बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2, बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2बी व बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस शासन द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।

| | |
|---|---------------------------------------|
| लाइसेंस का प्रकार | लाइसेंस फीस वर्ष या उसके भाग के लिए |
| 1. उत्तरांचल स्थित आसवनियों को अपने विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स बेचने हेतु देय एफ०एल०-1 लाइसेंस | 50,000/- रु० (पचास हजार रुपये मात्र) |
| 2. उत्तरांचल से बाहर की आसवनियों को अपने ब्राण्ड्स अण्डरबाण्ड लाने हेतु देय | |
| (1) बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2(बियर एवं विदेशी मदिरा के लिए) लाइसेंस | 2,00,000/- रु० (दो लाख रुपये मात्र) |
| (2) बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2बी (केवल बियर के लिए) लाइसेंस | 1,00,000/- रु० (एक लाख रुपये मात्र) |
| 3. बार अनुज्ञापन:- | |
| (1) चार व पांच सितारा होटलों हेतु | 5,00,000/- रु० (पांच लाख रुपये मात्र) |
| (2) अन्य होटलों व रेस्टोरेन्टों हेतु | 2,00,000/- रु० (दो लाख रुपये मात्र) |

कृपया उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस जमा कराकर लाइसेंस स्वीकृत एवं नवीनीकरण करने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय प्रेषित करें।

संयुक्त आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, वृहस्पतिवार, 19 अप्रैल, 2001 ई०
चैत्र 29, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त

संख्या: 434/अल्कोहल/देहरादून, 19 अप्रैल, 2001

आदेश

सा0प0नि0-014

उत्तर प्रदेश बाटलिंग आफ फारेन लीकर रूल्स, 1969 (यथा संशोधित) के नियम 6 (21) (1) से (4) के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले लेबुलों पर लीजेण्ड मुद्रण के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा पूर्व में जारी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्न व्यवस्था बनायी जाती है:-

1. प्रदेश में बिक्री की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' (FOR SALE IN UTTARANCHAL ONLY) अथवा उक्त का हिन्दी रूपान्तरण अंकित किया जाये।
2. अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने वाली बोतलों के लेबुलों पर 'फार सेल इन.....
.....स्टेट/यूनियन टेरिटरी ओनली' (FOR SALE IN.....
STATE/UNION TERRITORY ONLY) अंकित किया जाये। इस प्रकार एक लेबुल को अनुमोदित कराने के बाद जिस राज्य में निर्यात करना हो, उस राज्य के केवल नाम की छापने की अनुमति दी जाये।

3. यदि कोई राज्य उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई लीजेण्ड मुद्रित कराना चाहता है, तो उक्त राज्य के आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पूर्वानुमोदन से उक्त लीजेण्ड मुद्रित कराया जा सकता है।
4. देश के बाहर निर्यात किये जाने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार एक्सपोर्ट आउट आफ इण्डिया' (FOR EXPORT OUT OF INDIA.....) तथा आयात देश के रेगुलेशन के अनुसार अन्य कोई लीजेण्ड छपाना चाहें तो इस कार्यालय के पूर्वानुमोदन पश्चात् छपा सकते हैं।
5. सेना को आपूर्ति किये जाने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार सेल डिफेंस परसनल ओनली' 'पजेसन बाई परसन्स अंदर देन डिफेंस परसनल इज पनिशेबल' (FOR SALE TO DEFENCE PERSONNELS ONLY "POSSESSION BY OTHER THAN DEFENCE PERSONNEL IS PUNISHABLE") तथा पैरा मिलिट्री फोर्स के मामले में 'फार सेल टू पैरा मिलिट्री ओनली' (FOR SALE DEFENCE PERSONNELS ONLY "POSSESSION BY OTHER THAN PARA MILITARY FORCES IN PUNISHABLE) लाल रंग से डायेयोनली मुद्रित कराया जाये।
6. लेबुलों में मेड इन इंडिया अंकित कराया जाना अनिवार्य है तथा वैधानिक चेतावनी 'कन्जम्पसन आफ लीकर इज इन्जूरियस टू हेल्थ' अंग्रेजी व हिन्दी में अथवा आयात करने वाले आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार सम्बन्धित राज्य की भाषा में मुद्रित कराया जाये।
7. भारत निर्मित विदेशी मदिरा की तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अथवा जिनके मामले में यथास्थिति 42.8 प्रतिशत वी/वी या 37.1 प्रतिशत वी/वी मुद्रित कराया जाये। यदि आयातक राज्य प्रुफ माप में तीव्रता का अंकन चाहता है तो 25 डिग्री यू0पी0 भी साथ-साथ मुद्रित कराया जाये, किन्तु 42.8 प्रतिशत वी/वी अथवा 37.1 प्रतिशत वी/वी जैसी स्थिति ही मुद्रित कराना अनिवार्य है।
8. राज्य के बाहर या देश के बाहर की कोई इस प्रदेश में एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन धारक आसवनी अपने ट्रेडमार्क/ब्राण्ड भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी में कराना चाहती है तो उसे लेबुल पर

अपने कम्पनी के नाम के साथ ही भराई कराने वाली आसवनी का भी अंकित कराना होगा चाहे लेबुल एक भाग में हो या कई भाग में हो।

9. पेट बाटल के लेबुल पर शब्द 'पेट बाटल' तथा 'एक्सपाइरी डेट' मुद्रित करायी जाये।
10. उपर्युक्त के अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में इस कार्यालय द्वारा केवल उन्हीं लेबुलों का अनुमोदन किया जायेगा जो एक बार (मूल प्रिन्ट) प्रिन्टेड हो, केवल प्रस्तर-2 में अंकित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम बाद में छपाया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबुलों पर कटिंग, ओवर प्रिंटिंग, टाईपिंग एवं स्टाम्पिंग किसी भी दशा में बिना इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा लीजेण्ड 'लाईन टू पाइका' अर्थात् मुद्रण की पंक्ति (लाईन) पाइका से छोटा नहीं होगा।
11. लेबुलों का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जायेगा कि यदि उक्त ट्रेडमार्क अथवा मेक का लेबुल किसी अन्य आसवनी को पूर्वानुमोदित है, तो पश्चातवर्ती लेबुल का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। किसी भी लेबुल को अनुमोदित करना अथवा न करने के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल का आदेश अंतिम व बाध्यकारी होगा।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून

संख्या:518-30/सात लाईसेंस-48/एफ0एल0-2ए/देहरादून, अप्रैल 19, 2001

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

विषय: सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेवा के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0-2ए) अनुज्ञापन प्रदान नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैंटीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत् सी0एस0डी0 डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती हैं परन्तु इसके लिए यूनिट कैंटीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा/बीयर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परमिट हेतु (उ0प्र0 आबकारी मैनुअल खण्ड प्रथम के प्रस्तर 614) अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैं:-

1. आबकारी अभिकर की दर

| | |
|---|--------------------|
| (1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन) | 48/- प्रति ए0एल0 |
| (2) बीयर | |
| (अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक | 11.55 प्रति बी0एल0 |
| (ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की | 23.10 प्रति बी0एल0 |
| (3) कंसेशन ड्यूटी रम | 43/- प्रति ए0एल0 |
| (4) भारतीय सेना एवं तिब्बत सीमा पुलिस सीमा को दी जाने वाली रम | 17.25 प्रति ए0एल0 |
| उत्तर प्रदेश के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली क्रमशः 180, 180 लीटर एवं 41,148 लीटर की सीमा तक रम | |

2. आयात परमिट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम

5/- प्रति बोतल

(2) बीयर

1/- प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ0एल0-9 एवं एफ0एल0-9ए, अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं एसेस्ड फीस की दरें निम्नवत होगी।

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| (1) एफ0एल0-9 निश्चित फीस (सैन्य कैंटीन) | एसेस्मेंट शुल्क | (एक) भारत में बनी सभी प्रकार की विदेशी शराब स्प्रिट, वाईन शराब स्प्रिट, वाईन शराब काडियल आदि | रू0 60 प्रति लाइसेंस 30.00 रुपये प्रति मान्य क्वार्टर बोतल |
| | | (दो) अल्कोहल को 5 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति रखने वाली बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब | 2.00 रुपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल |
| | | (तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत वी/वी से कम शक्ति रखने वाली बियर स्टाउट और किण्वित शराब | 3.00 रुपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल |
| (2) एफ0एल0-9ए निश्चित फीस (सैन्य कैंटीन) | एसेस्मेंट | | रू0 60/- प्रति लाइसेंस रियायती शुल्क रू0 18.00 प्रति मान्य क्वार्टर बोतल रम |

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल

संख्या:531-44/सात-लाइसेंस-48/एफ0एल0-2ए/तद्दिनांक
प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कमाण्डर हेडक्वार्टर्स सब एरिया देहरादून कैंन्ट को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उत्तरांचल स्थित सेना की समस्त इकाइयों को स्थिति से अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, शुक्रवार, 11 मई, 2001 ई०
बैशाख 21, 1923 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त
संख्या: 1151-1163/30/सात/एफ०एल०-9/9ए
देहरादून, 11 मई, 2001

सा०प०नि०-015

माननीय मंत्री परिषद द्वारा नैरूपित सिद्धान्तों के अनुसार राज्य में स्थित सैन्य इकाइयों द्वारा मनाये जाने वाले विशिष्ट सैन्य समारोहों के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में दी जाने वाली आबकारी अभिकर की छूट की सीमा वर्ष 2001-2002 के लिए 10 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। सैन्य इकाइयों द्वारा विभिन्न सैन्य समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में शासन द्वारा अनुमन्य छूट निम्नवत् प्रदान की जायेगी:-

1. 50 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले मांग का 50 प्रतिशत की छूट समारोहों जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर
2. 25 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले मांग का 20 प्रतिशत की छूट समारोहों जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर
3. 05 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह मांग का 10 प्रतिशत की छूट जैसे पंचवर्षीय री-यूनियन के अवसर पर
4. वार्षिक सैन्य समारोह कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त छूट के संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्थित सैन्य इकाइयों द्वारा मनाये जाने वाली विभिन्न सैन्य समारोहों के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में माननीय मंत्री परिषद द्वारा निरूपित सिद्धान्तों के अनुरूप निर्धारित सीमा एवं शर्तों के अनुसार ही प्रस्ताव शासन/आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये जायें।

भवदीय,
(सुभाष कुमार)
सचिव/आयुक्त,
आबकारी।

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 26 जून, 2001 ई०
अषाढ़ 05, 1923 शक सम्वत्

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal
Excise Department
No. 778/ST
dated Dehradun, June 26, 2001

NOTIFICATION

सा०प०नि०-006

In Exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the U. P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view of amending The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Second Amendment) Rules 2001.

1. Short Title and Commencement

- (1) These rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Secound Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force from 1st April 2001.

2. Amendment of Rule 14: In the said rules, for the Rule 14 set out in Column I below, the Rule as setout in Column II shall be substituted:-

Column I

Column II

Existing Rule
Rule 14

Rule as hereby substituted
Rule 14

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forfeited. However if the licensee has deposited all Monthly Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 3rd day of the next month on written request from the licensee. In case the licensee has lifted the entire Minimum Guaranteed Quantity for a month and there is scope for further sale in his shop he will be allowed to lift an additional quantity of 20% Monthly Minimum Guaranteed Quantity on payment of an additional per bottle excise duty (as calculated on the basis of Monthly Minimum Guaranteed Duty for the shop) on the excess quantity. In case a licensee wants to lift more than 120% of the Monthly Minimum Guaranteed Duty in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forfeited. However if the licensee has deposited all Monthly Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 3rd day of the next month on written request from the licensee. In case the licensee has lifted the entire Minimum Guaranteed Quantity for a month and there is scope for further sale in his shop he will be allowed to lift an additional quantity of 30% Monthly Minimum Guaranteed Quantity on payment of an additional per bottle excise duty (as calculated on the basis of Monthly Minimum Guaranteed Duty for the shop) on the excess quantity. In case a licensee wants to lift more than 130% of the Monthly Minimum Guaranteed Duty in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

(Subhash Kumar)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 28 जुलाई, 2001 ई०
श्रावण 06, 1923 शक सम्वत्

The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No.: 3067

Dated, Dehradun July 28, 2001

NOTIFICATION

सा०प०नि०-021

In Exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the U. P. General Clauses Act 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view of amending The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) Rules 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Third Amendment) Rules 2001.

1. Short Title and Commencement

- (1) These rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor and Beer) (Third Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force from 1st August, 2001.

2. Amendment of Rule 14: In the said rules, for the Rule 14 set out in Column I below, the Rule as setout in Column II shall be substituted:-

Column I

Column II

Existing Rule
Rule 14

Rule as hereby substituted
Rule 14

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forfeited. However if the licensee has deposited all Monthly Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 3rd day of the next month, on written request from the licensee. In case the licensee has lifted the entire Minimum Guaranteed Quantity for a month and there is scope for further sale in his shop, he will be allowed to lift an additional quantity of 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Quantity on payment of an additional per bottle excise duty (as calculated on the basis of monthly minimum guaranteed Duty for the shop) on the excess quantity. In case a licensee wants to lift more than 120% of the Monthly Minimum Guaranteed Quantity in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

The licensee can lift the Monthly Minimum Guaranteed Quantity for a month till the last working day of the month. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall stand forfeited. However if the licensee has deposited all Monthly Guaranteed Duty, the District Excise Officer may permit lifting of liquor till 10th day of the next month, (during April to February of that financial year), on written request from the licensee. In case the licensee has lifted the entire Minimum Guaranteed Quantity for a month and there is scope for further sale in his shop, he (after depositing the duty in advance) will be allowed to lift an additional quantity of 50% of the Monthly Minimum Guaranteed Quantity on payment of an additional per bottle excise duty (as calculated on the basis of monthly minimum guaranteed Duty for the shop) on the excess quantity. In case a licensee wants to lift more than 150% of the Monthly Minimum Guaranteed Quantity in a month, he shall be required to deposit an additional Excise Duty at a higher rate as notified by the State Government in this regard. FL 5D Licensee shall be free to purchase any quantity of Beer from FL2 or FL2B as per the genuine sale requirements of his shop.

(Subhash Kumar)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.